

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021/07(आप) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना दिनांक: 22/4/25

**विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०)
दिनांक 21.04.2025 के आलोक में कुल ₹15,12,319.00 (पन्द्रह
लाख बारह हजार तीन सौ उन्नीस रुपये) मात्र की राशि का
आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04(स्वी०) दिनांक 21.04.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की उपलब्धियों की पारदर्शिता एवं उनके अनुश्रवण सहित आँकड़ों का संग्रहण एवं आम जनो को परिलक्षण हेतु NIC, पटना द्वारा विकसित पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर जिले के कार्यपालक सहायक, प्रोग्रामर एवं अन्य द्वारा भौतिक एवं वित्तीय आँकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। उक्त व्यवस्था के सफल संचालन, सुचारु अनुरक्षण, अनुश्रवण, रख-रखाव सहित उनके उचित IMIS प्रबंधन हेतु NICSI द्वारा विभागीय परिपत्र के अधीन उपलब्ध कराये गए 05 (पाँच) मानवबल को 05 माह 16 दिन के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹15,12,319.00 (पन्द्रह लाख बारह हजार तीन सौ उन्नीस रुपये) मात्र की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में NICSI, New Delhi को भुगतान हेतु हेतु कुल ₹15,12,319.00 (पन्द्रह लाख बारह हजार तीन सौ उन्नीस रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना" के "विषय

शीर्ष-0113.31.04-सहायक अनुदान-वेतन" से वित्तीय वर्ष 2025-26 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना होंगे, जो राशि की निकासी नया सचिवालय, कोषागार विकास भवन, पटना से करते हुए CFMS के माध्यम से NICSI, New Delhi के ICICI, बैंक खाता संख्या-NICSIPMPBR246692, IFSC CODE- ICIC0000104, (ICICI Bank CMS) में अंतरित करेंगे।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार ससमय महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं माँग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021 के पृष्ठ संख्या ~~264~~/टि० पर दिनांक ~~21/04/2025~~ को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021/97(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 22/4/25

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना / निदेशक, NICS, New Delhi / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, 06 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) / लेखापाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2021/07(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 22/4/25

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

संयुक्त सचिव